पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 71

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3936.73	0.54	3937.27	7000.00	0.70	7000.70	3500.00	0.63	3500.63	7000.00	0.70	7000.70
पूंजी		**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**3936.73**	**0.54**	**3937.27**	**7000.00**	**0.70**	**7000.70**	**3500.00**	**0.63**	**3500.63**	**7000.00**	**0.70**	**7000.70**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	13.11	0.54	13.65	22.00	0.70	22.70	22.00	0.63	22.63	25.00	0.70	25.70
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
2. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	39.90	...	39.90	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. मीडिया और प्रचार	2515	11.99	...	11.99	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	20.00	...	20.00
4. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	1.74	...	1.74	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	0.70	...	0.70	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	3.00	...	3.00
6. ग्रामीण व्यापार केंद्र	2515	0.11	...	0.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. राज्यों को संसाधन सहायता	2515	1.60	...	1.60	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें													
8. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना													
8.01 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2515	53.48	...	53.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.02 अवसंरचना विकास	2515	36.22	...	36.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		*89.70*	...	*89.70*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2515	42.92	...	42.92	406.80	...	406.80	406.80	...	406.80	44.00	...	44.00
	3601	...	...	...	...	...	...	177.63	...	177.63	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	5.07	...	5.07	...	...	...
	जोड़	*42.92*	...	*42.92*	*406.80*	...	*406.80*	*589.50*	...	*589.50*	*44.00*	...	*44.00*
10. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	5.80	...	5.80	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें		**138.42**	**...**	**138.42**	**406.80**	**...**	**406.80**	**589.50**	**...**	**589.50**	**44.00**	**...**	**44.00**
11. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता का अंतरण	2515	8.90	...	8.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	1.90	...	1.90
12. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अंशदान	2515	0.07	...	0.07	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**203.43**	**...**	**203.43**	**428.00**	**...**	**428.00**	**610.70**	**...**	**610.70**	**69.00**	**...**	**69.00**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	50.00	...	50.00	67.30	...	67.30	...	...	...
राज्य योजनागत स्कीमें													
14. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	590.00	...	590.00
	3601	3720.19	...	3720.19	6500.00	...	6500.00	2800.00	...	2800.00	5310.00	...	5310.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*3720.19*	*...*	*3720.19*	*6500.00*	*...*	*6500.00*	*2800.00*	*...*	*2800.00*	*5900.00*	*...*	*5900.00*
15. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	110.00	...	110.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	896.00	...	896.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1006.00*	...	*1006.00*
जोड़-राज्य योजनागत स्कीमें		**3720.19**	**...**	**3720.19**	**6500.00**	**...**	**6500.00**	**2800.00**	**...**	**2800.00**	**6906.00**	**...**	**6906.00**
कुल जोड़		***3936.73***	***0.54***	***3937.27***	***7000.00***	***0.70***	***7000.70***	***3500.00***	***0.63***	***3500.63***	***7000.00***	***0.70***	***7000.70***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	13.11	...	13.11	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	25.00	...	25.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	203.43	...	203.43	428.00	...	428.00	610.70	...	610.70	69.00	...	69.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	50.00	...	50.00	67.30	...	67.30	...	...	...
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**216.54**	**...**	**216.54**	**500.00**	**...**	**500.00**	**700.00**	**...**	**700.00**	**94.00**	**...**	**94.00**
राज्य योजना:													
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) राज्य हिस्सा	43601	3720.19	...	3720.19	6500.00	...	6500.00	2800.00	...	2800.00	5900.00	...	5900.00
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1006.00	...	1006.00
जोड़ - राज्य योजना		**3720.19**	**...**	**3720.19**	**6500.00**	**...**	**6500.00**	**2800.00**	**...**	**2800.00**	**6906.00**	**...**	**6906.00**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़		**3936.73**	**...**	**3936.73**	**7000.00**	**...**	**7000.00**	**3500.00**	**...**	**3500.00**	**7000.00**	**...**	**7000.00**

1. यह प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. मीडिया एवं प्रचार का अभिप्राय श्रवण एवं दृश्यन प्रचार तथा मुद्रण एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में लोगों को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

5. कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन: उन शैक्षणिक संस्थाओं को जिन्हें ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व मूल्यांकन का विशेष अनुभव हो, पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं मुख्यत: बेहतर नीति निर्धारण के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग हेतु कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

9&15. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) : आरजीपीएसए के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

• पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमताओं तथा प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना;

• पंचायतों को प्रजातांत्रिक निर्णय लेने तथा उत्तरदायिता में सक्षम बनाना;

• संस्थागत ढ़ांचे को पंचायतों के ज्ञान संवर्धन तथा क्षमता निर्माण के लिए सुदृढ़ बनाना;

• संविधान में निहित अनुसार पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के अंतरण को बढ़ावा देना;

• अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार 1996 अधिनियम (पीईएसए) में परिकल्पना के अनुसार अनुसूची V क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए विशेष रूप से सुदृढ़ बनाना।

आरजीपीएसए एक देश भर में फैला हुआ कार्यक्रम है। उत्तर-पूर्व राज्य भी जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित जिला परिषदों तथा ग्राम परिषदों को सहायता देने के योग्य है, बशर्ते वे निर्दिष्ट अनिवार्य शर्त को भी पूरा करते हों।

11. यूएन सहायता प्राप्त परियोजना: यूएनडीपी द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

12. स्थानीय अभिशासन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान देने हेतु प्रावधान है।

14. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का प्रयोग केन्द्र एवं राज्यों के संयुक्त प्रयासों के साथ कार्यक्रमों एवं नीतियों को चलाने के लिए किया जाता है जिससे उन्नति के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को हटाने, विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा जन जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। योजना का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जिससे असुंतलनों में कमी करने तथा विकास की गति बढ़ाने में सहायता मिलेगी। पिछड़े जिलों में पंचायत की सभी स्तरों पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन में केन्द्रीय भूमिका होगी जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अंतराल समाप्त हो पाएगा।